स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

राजस्थान विधान परिषद बिल, 2013

- कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरपर्सनः शांताराम नाइक) ने 9 दिसंबर, 2013 को राजस्थान विधान परिषद बिल, 2013 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यसभा में इस बिल को 6 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत किया गया था।
- बिल में राजस्थान में 66 सदस्यों वाली विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव है। 18 अगस्त को राजस्थान की विधानसभा में राज्य में विधान परिषद के सृजन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके बाद राज्यसभा में यह बिल पेश किया गया।
- कमिटी ने राजस्थान राज्य में विधान परिषद के सृजन का समर्थन किया है। साथ ही, बिल के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए हैं।
- कमिटी ने कहा है कि केंद्र सरकार को विधान परिषदों के सृजन और उत्सादन (एबॉलिशन या समाप्ति) के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य विधान मंडलों में उच्च सदन ऐसे अस्थायी निकाय न बन जाएं जिन्हें पदस्थ सरकारों द्वारा सृजित या उत्सादित किया जा सके।
- विधान परिषदों के संयोजन की समीक्षा की जानी चाहिए। विशेष रूप से विधान परिषद के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की पड़ताल की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे केवल शहरी स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं है। जैसा कि संविधान में निर्धारित किया गया है, उनमें पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों और वॉर्ड कमिटियों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- बदलते समय को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों जैसे राज्य विधानसभाओं, ग्रैजुएट्स और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव **7 सितंबर, 2015**
prianka@prsindia.org